

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु कुल रूपये
1,00,00,00,000/- (एक अरब रू0) मात्र स्वीकृत राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-सामान्य शिक्षा, लघु शीर्ष-202-माध्यमिक शिक्षा, उप शीर्ष-0103-राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, विपत्र कोड संख्या-पी 4202012020103 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-53 01-मुख्य निर्माण कार्य में रू0 1,00,00,00,000/- (एक अरब रू0) मात्र वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपको अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

विवरण

क्रमांक	विषय शीर्ष	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल दी जाने वाली राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	53 01- मुख्य निर्माण कार्य	33,47,80,786	1,00,00,00,000	1,33,47,80,786
तत्काल आवंटित राशि रू0 1,00,00,00,000/- (एक अरब रू0) मात्र।				

- मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। व्यय विवरणी वांछित प्रपत्र में अपने या अधीनस्थ सभी निकासी पदाधिकारियों को सम्मिलित कर भेजा जाए। टी0भी0 नम्बर के अभाव में विपत्र की निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
- मितव्ययिता अवश्य बरतें।
- पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।
- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि-2) दिनांक-17.04.1998, 396 दिनांक- 24.04.2015 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- कोषागार से विपत्र की निकासी करते समय प्राप्त आवंटन के शीर्ष का ही मोहर लगाया जाए।
- उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-115 दिनांक-24.02.2016 के आलोक में आवंटित है।
- उक्त राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-115 दिनांक-24.02.2016 में अंकित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

9. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में निर्धारित अवधि के अंदर महालेखाकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
10. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाये।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 378

पटना, दिनांक:- 2/3/16

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/सहायक निदेशक, (योजना)/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/लेखापाल/विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में)/प्रशाखा -05 एवं 10/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

संजीव